रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 4, 2000/चैत्र 15, 1922
No. 196] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 4, 2000/CHAITRA 15, 1922

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2000

सा. का. नि. 305 (अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं0 आ0 180"

संविधान (राजस्व वितरण) संशोधन आदेश, 2000

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 270 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्यारहवें वित्त आयोग की, उसकी 2000-2001 के लिए अंतरिम रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, संविधान (राजस्व वितरण) सं0 2 आदेश, 1995 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संशोधन आदेश, 2000 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. संविधान (राजस्व वितरण) सं0 2 आदेश, 1995 के पैरा 3 के उपपैरा (2) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु 1 अप्रैल, 2000 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 'शुद्ध आगमों का प्रतिशत' 77.5 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत होगा ।" ।

4. 1 अप्रैल, 2000 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में संदेय कोई राशि या राशियां, संविधान (राजस्व वितरण) सं0 2 आदेश, 1995 के पैरा 3 के उपपैरा (2) के अधीन राज्यों को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

5. संविधान (राजस्व वितरण) सं0 2 आदेश, 1995 के पैरा 3 के उपपैरा (2) के परन्तुक के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर किए जाने वाले और आदेश के अधीन रहते हुए, अनंतिम समझी जाएंगी ।

के.आर. नारायणन
राष्ट्रपति ।

[फा. सं. 19(5)/2000-वि-I]
सुभाष सी. जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2000

G. S. R. 305 (E).—The following Order made by the President is published for general information:-

"C.O.180"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) AMENDMENT ORDER, 2000

In exercise of the powers conferred by article 270 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Eleventh Finance Commission contained in their Interim Report for 2000-2001, hereby makes the following Order to amend the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 1995, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Amendment Order, 2000.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. In sub-paragraph (*2*) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 1995, the following proviso shall be added at the end, namely:—

'Provided that for the financial year commencing on the 1st day of April, 2000, the "percentage of the net proceeds" shall be 80 per cent. instead of 77.5 per cent.'.

4. Any sum or sums payable in the financial year commencing on the 1st day of April, 2000, shall be in addition to any sum or sums payable to the States under sub-paragraph (2) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 1995.

5. Any sum or sums payable under the proviso to sub-paragraph (2) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 1995 shall be treated as provisional subject to further Order to be made on the basis of the final report of the Finance Commission.

K.R. NARAYANAN,
President.

[F.No. 19(5)/2000-L I]
SUBHASH C. JAIN, Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064